


पत्र सं०-६/पी०- १०/१७- २४७(६) अ
झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

शुद्धि-पत्र

विभागीय आवंटनादेश सं०- २१५(६)ब दि० २९.०१.१८ की कंडिका- २ को संशोधित रूप में निम्न प्रकार पढ़ा जाए:-

इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के सिविल सर्जन (संलग्न परिशिष्ट के अनुसार) होंगे, जो डिपोजिट कार्य हेतु विपत्र के माध्यम से राशि की निकासी कर संबंधित भवन प्रमण्डल के कार्यपालक अभियन्ता को पुस्तांतरण द्वारा रिभिटान्स शीर्ष- ८७८२, स्थानीय जमा निधि-१०२ में प्रतिहस्ताक्षरित चालान के माध्यम से राशि जमा करेंगे । इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वा०चि०शि० एवं प०क० विभाग, झारखण्ड, रांची होंगे ।

२. उक्त आवंटनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगे ।



(सुधीर त्रिपाठी)

ज्ञाप संख्या: २४७(६)अ

सरकार के अपर मुख्य सचिव ।
/रांची, दिनांक: २१.२.१८

प्रतिलिपि: माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, रांची/योजना सह वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/अभियान निदेशक, झारखण्ड हेल्थ मिशन, नामकुम/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित भवन प्रमण्डल के कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

२४७(६)अ
२१.२.१८


(सुधीर त्रिपाठी)
सरकार के अपर मुख्य सचिव ।